

## **सेवा की शर्तें - डिजिटल फिक्स्ड टर्म डिपोजिट**

ये नियम और शर्तें, किसी भी समझौते, अनुबंध, प्रदर्शन, या एफडी सेवाओं पर लागू अतिरिक्त सेवा शर्तों ( "एफडी शर्तें" ) के साथ, तब लागू होती हैं जब आप ( "आप" या "ग्राहक" ) नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ( "बैंक", "हम", "हमारे" ) द्वारा प्रदान की गई या उपलब्ध कराई गई ऑटो डिपोजिट योजना ( "डिजिटल एफडी सेवा" ) सहित डिजिटल फिक्स्ड टर्म डिपोजिट का लाभ उठाने का विकल्प चुनते हैं। ये एफडी सेवाएं बैंक या किसी अधिकृत तृतीय-पक्ष द्वारा संचालित किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म ( जैसे, वेबसाइट, डेस्कटॉप साइट, या मोबाइल एप्लिकेशन ) के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

डिजिटल एफडी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, बैंक द्वारा निर्धारित एफडी शर्तें आप पर लागू होंगी, जैसा कि नीचे दिया गया है। डिजिटल एफडी सेवाओं का उपयोग करने के लिए रजिस्टर्ड करके, आप पुष्टि करते हैं कि आपने इन एफडी शर्तों को पूरी तरह पढ़ा, समझा है, और बिना किसी सीमाओं के इनसे बंधे रहने के लिए अपनी सहमति देते हैं। यदि आप इन एफडी शर्तों से सहमत नहीं हैं, तो कृपया रजिस्टर्ड न करें और न ही डिजिटल एफडी सेवाओं का उपयोग करें।

इन शर्तों में दिए गए शीर्षक केवल संदर्भ के उद्देश्य से शामिल किए गए हैं।

इन शर्तों में बैंक की गोपनीयता नीति ( समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित ) को शामिल किया गया है, जिसे संदर्भ स्वरूप यहां उपलब्ध कराया गया है।

## **आपके द्वारा दी गई प्रस्तुतियां, वारंटी और वचनबद्धता**

1. आप पुष्टि करते हैं कि डिजिटल एफडी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष है।
2. आप पुष्टि करते हैं कि आपको किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया है और न ही आपके विरुद्ध कोई दिवालियापन कार्यवाही चल रही है।
3. आप सहमति देते हैं कि सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आप आवश्यक "अपने ग्राहक को जानें" ( KYC ) प्रक्रिया और ग्राहक उचित परिश्रम प्रक्रिया को पूरा करेंगे। यह प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक ( RBI ) द्वारा जारी मास्टर निर्देश - KYC निर्देश, 2016 ( समय-समय पर संशोधित ) और धन शोधन निवारण अधिनियम ( Prevention of Money Laundering Act ), 2002 ( समय-समय पर संशोधित ) के तहत निर्धारित है ( सामूहिक रूप से "KYC फ्रेमवर्क" )। आप यह भी पुष्टि करते हैं कि आप भारत के बाहर रहने वाले 'राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति' ( PEP ) नहीं हैं। पीईपी वह व्यक्ति होता है जिसे किसी विदेशी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्य, जैसे राष्ट्राध्यक्ष, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, या प्रमुख राजनीतिक दल के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो। आप सहमत हैं कि यदि आपकी पीईपी स्थिति में कोई बदलाव होता है या आप किसी पीईपी से संबंधित हो जाते हैं, तो आप तुरंत बैंक को सूचित करेंगे।
4. आप पुष्टि करते हैं कि डिजिटल एफडी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आप किसी भी कानूनी, नियामक, न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं। आप सहमति देते हैं कि डिजिटल एफडी सेवाओं का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए करेंगे जो इन एफडी शर्तों और लागू कानूनों के तहत अनुमत हैं।

## **परिभाषा**

"**आवेदक**" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो बैंक में फिक्स्ड डिपोजिट अकाउंट ( Fixed Deposit Account ) खोलने के लिए औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करता है, चाहे वह सीधे बैंक के माध्यम से हो या किसी व्यवसाय संवाददाता ( बीसी ) के माध्यम से, डिजिटल पोर्टल पर, जहां बैंक द्वारा एफडी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

**"डिजिटल एफडी" या "डिजिटल एफडी अकाउंट"** का अर्थ उस फिक्स्ड डिपोज़ीट अकाउंट से है जो ग्राहक के नाम पर खोला जाता है और डिजिटल पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रबंधित किया जाता है।

**"KYC फ्रेमवर्क"** का मतलब RBI द्वारा जारी KYC निर्देश, 2016 है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम ( Prevention of Money Laundering Act ), 2002 के साथ लागू होता है।

इन एफडी शर्तों में उपयोग किए गए बड़े अक्षरों वाले शब्दों के अर्थ वही होगा जो भारतीय कानूनों में दिए गए हैं, अगर उन्हें खासतौर पर परिभाषित नहीं किया गया है।

### **आपकी जानकारी**

डिजिटल एफडी सेवाओं का उपयोग करते हुए, आप बैंक को, चाहे सीधे या किसी अधिकृत तृतीय पक्ष के माध्यम से, आपकी जानकारी एकत्र करने की अनुमति देते हैं। इसमें आपकी पहचान से संबंधित जानकारी या गोपनीयता नीति और KYC फ्रेमवर्क के तहत आपकी पहचान वेरीफाई करने के लिए आवश्यक जानकारी शामिल हो सकती है। कृपया गोपनीयता नीति पढ़ें ताकि आप समझ सकें कि हम आपकी जानकारी को तीसरे पक्षों के साथ कैसे एकत्र, संसाधित, संभाल और शेयर करते हैं।

बैंक आपकी सहमति से, तीसरे पक्षों से आपकी जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है।

डिजिटल एफडी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, कुछ तीसरे पक्ष, जैसे डिजिटल पोर्टल का संचालन करने वाला तृतीय पक्ष, सीधे आपकी जानकारी एकत्र कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, उन तीसरे पक्षों की गोपनीयता नीतियाँ आपकी जानकारी के संग्रह और प्रसंस्करण पर लागू होंगी। इन गोपनीयता नीतियों को पढ़ने के लिए, कृपया संबंधित तीसरे पक्ष के डिजिटल पोर्टल पर जाएं।

हम आपसे ऐसी जानकारी और दस्तावेज़ मांग सकते हैं जो हमें आपके ईमेल पते, फ़ोन नंबर या वित्तीय साधनों पर आपके अधिकार की पुष्टि करने या तीसरे पक्ष के डेटाबेस या अन्य स्रोतों से आपकी जानकारी वेरीफाई करने में मदद करेंगे।

यदि आप बैंक द्वारा अनुरोधित कोई भी जानकारी और दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो आप डिजिटल एफडी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा, हम डिजिटल एफडी सेवाओं तक पहुँच को समाप्त, निलंबित या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, यदि हम एफडी शर्तों के अनुसार आपके द्वारा प्रदान की गई या हमारे द्वारा एक्सेस की गई किसी भी जानकारी को प्राप्त या वेरीफाई करने में असमर्थ हैं।

आपकी दी गई जानकारी सत्य, सटीक, उपडेटेड और पूरी होनी चाहिए। आप समझते हैं कि सही संपर्क विवरण, लेन-देन राशि, बैंक अकाउंट विवरण आदि प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जानकारी में कोई गलती न हो। यदि आपकी जानकारी में कोई बदलाव हो, तो आपको बैंक को सूचित करने की पूरी जिम्मेदारी होगी।

आप सहमत हैं कि आप बैंक को आपकी पहचान वेरीफाई करने में पूरा सहयोग देंगे, ताकि आपको डिजिटल एफडी सेवाएं सही तरीके से मिल सकें।

### **संचार और सूचना**

आप सहमत हैं कि बैंक अपने विवेकानुसार अपनी सेवाओं को बढ़ाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी सर्विस प्रोवाइडरों, व्यवसाय संवाददाताओं ( "बीसी" ) और अन्य तीसरे पक्ष की सेवाओं को शामिल कर सकता है।

आप सहमत हैं कि बैंक ( सीधे या तीसरे पक्ष के माध्यम से ) डिजिटल एफडी सेवाओं के बारे में आपसे फोन कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल या डिजिटल पोर्टल के जरिए संपर्क कर सकता है।

किसी भी संचार को 24 घंटे के भीतर या जब आपको डिजिटल पोर्टल के जरिए सूचित किया जाता है, तब प्राप्त माना जाएगा।

यदि हमें डिजिटल एफडी सेवाओं के बारे में आपसे संपर्क करना हो, तो आप हमें और अधिकृत तीसरे पक्षों ( जैसे बीसी, एजेंट या सर्विस प्रोवाइडर ) को आपसे नीचे दिए गए किसी भी तरीके से संपर्क करने की सहमति देते हैं।

- मोबाइल या लैंडलाइन नंबर जो आप हमें देते हैं या हम संपर्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
- बैंक में आपके अकाउंट से जुड़ा या आपका दिया हुआ ईमेल पता।
- ऑटोमेटेड डाइलर सिस्टम और ऑटोमेटिक टेलीफोन डायलिंग सिस्टम
- पूर्व-रिकॉर्डेड या कृत्रिम आवाज संदेश।
- कोई भी अन्य तरीके से।

बैंक किसी भी संचार की नॉन-डिलीवरी, देरी से डिलीवरी या किसी भी प्रकार की खराबी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

### **आपके अकाउंट के एक्सेस**

आपके क्रेडेंशियल्स में आपका यूजरनेम और पासवर्ड शामिल है, जिसका उपयोग आप अपने डिजिटल एफडी अकाउंट तक पहुंचने के लिए करते हैं। आप अपने अकाउंट की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, अपने अकाउंट में होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने और अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए अपने सिस्टम या डिवाइस तक पहुंच सीमित करने के लिए भी। बैंक आपके डिजिटल एफडी अकाउंट की सुरक्षा में किसी भी उल्लंघन या अनधिकृत उपयोग के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

आप सहमत हैं कि आप अपने डिजिटल एफडी अकाउंट की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा प्रक्रियाएँ और नियंत्रण स्थापित करेंगे, जिसमें आपके अकाउंट का पासवर्ड या अन्य पहचान जानकारी शामिल है, और आप पासवर्ड और अन्य क्रेडेंशियल्स इस तरह से चुनेंगे जो आपके अकाउंट की सुरक्षा को बनाए रखें।

आप सहमत हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स किसी और को पता चल गया है या आपका पासवर्ड अनधिकृत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो आप हमें तुरंत सूचित करेंगे।

बैंक डिजिटल एफडी सेवाओं को 24 घंटे, 7 दिन उपलब्ध कराने के लिए पूरी कोशिश करेगा, सिवाय ( i ) योजना के तहत रख-रखाव के समय, या ( ii ) किसी ऐसी स्थिति के कारण जब बैंक के नियंत्रण से बाहर कोई कारण हो, जिसमें कोई तीसरा पक्ष या सर्विस प्रोवाइडर शामिल हो। हम आपके लिए डिजिटल एफडी सेवाओं का निर्बाध उपयोग सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बैंक किसी भी तरह के नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो सेवा में देरी या विफलता के कारण आपको हो।

सेवाओं से संबंधित ग्राहक समर्थन बैंक द्वारा या इसके अधिकृत सर्विस प्रोवाइडरों के माध्यम से 24 घंटे, 7 दिन उपलब्ध रहेगा।

अगर आप भारत के बाहर से डिजिटल एफडी सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो यह आपके अपने जोखिम पर होगा, और आप उस स्थान के स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। इस मामले में हम किसी भी तरह की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेंगे। यह तथ्य कि आप डिजिटल एफडी सेवाओं

को किसी अन्य देश से एक्सेस कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उस देश के कानून इन एफडी शर्तों पर लागू होंगे या आपके डिजिटल एफडी अकाउंट के उपयोग या एक्सेस पर असर डालेंगे।

## **योग्यता**

डिजिटल एफडी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पात्रता :

1. आवेदक भारतीय नागरिक और भारत का निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
3. आवेदक को डिजिटल आवेदन और / या वीडियो-KYC के समय भारत में शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए।
4. आवेदक पर भारत के अलावा किसी अन्य देश के प्रति कर ( टेक्स ) देनदारी नहीं होनी चाहिए ( FATCA के तहत रिपोर्ट करने योग्य )।
5. आवेदक KYC फ्रेमवर्क के तहत राजनीतिक रूप से प्रमुख व्यक्ति ( PEP ) नहीं होना चाहिए।
6. आवेदक का मोबाइल नंबर आवेदक के आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए। ( यह केवल उन खातों के लिए लागू है जो OTP आधारित आधार ई-KYC वेरीफिकेशन के माध्यम से खोले गए हों। )

## **FATCA-CRS डेकलरेशन**

1. आप सहमत हैं कि आप भारतीय रिजर्व बैंक ( "RBI" ), सामान्य रिपोर्टिंग मानक ( "CRS" ), संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी अकाउंट कर अनुपालन अधिनियम ( "FATCA" ) और किसी अन्य सरकारी या नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी सभी लागू नियमों, निर्देशों या मार्गदर्शिकाओं का पालन करेंगे और उनके द्वारा बाध्य होंगे।
2. आप समझते हैं कि बैंक FATCA और CRS ( सामान्य रिपोर्टिंग मानक ) के तहत आपके अनुपालन स्थिति का निर्धारण करने के लिए आपकी जानकारी पर निर्भर है।
3. आप सहमति देते हैं कि यदि ऐसी जानकारी में कोई परिवर्तन होता है, तो आप बैंक को 30 दिनों के भीतर सूचित करेंगे।
4. आप सहमति देते हैं कि बैंक को संबंधित विवरण भारत में किसी सरकारी या नियामक प्राधिकरण, जैसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर( टेक्स ) बोर्ड, को रिपोर्ट करने या आपके डिजिटल एफडी अकाउंट को बंद या निलंबित करने की आवश्यकता हो सकती है, यदि लागू कानून के तहत ऐसा करने का निर्देश या आवश्यकता हो।

## **डिजिटल एफडी सर्विसेज़**

बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) द्वारा भारत में लागू कानूनों के अनुसार आवेदक से अनुरोध प्राप्त करने पर फिक्स्ड डिपोजीट ( FD ) प्रदान करने और जारी करने का अधिकार प्राप्त है। FD के संबंध में, बैंक आपको निम्नलिखित कार्यक्षमताओं और सेवाओं को सीधे या बीसी ( BCs ) के माध्यम से डिजिटल पोर्टल पर प्रदान करेगा ( सामूहिक रूप से, "डिजिटल एफडी सेवाएं" ):

1. आवेदक से डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अनुरोध / आवेदन प्राप्त होने पर डिजिटल एफडी अकाउंट खोलना।
2. डिजिटल एफडी अकाउंट की समाप्ति / परिपक्वता से पहले उसे बंद करने की सुविधा प्रदान करना।
3. डिजिटल एफडी सेवाओं से संबंधित ग्राहक सहायता प्रदान करना, जिसमें डिजिटल एफडी सेवाओं से संबंधित शिकायतें, समस्याएँ या प्रतिक्रिया दर्ज करने की सुविधा प्रदान करना शामिल है; और
4. डिजिटल एफडी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आपको किसी भी सहायक या समर्थन सेवाएं प्रदान करना।

आपकी रजिस्ट्रेशन के दौरान, डिजिटल एफडी सेवाओं का उपयोग सक्षम करने के उद्देश्य से, बैंक आपके बारे में जानकारी एकत्र, प्रोसेस और तीसरे पक्षों के साथ शेयर कर सकता है, जो कि बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित KYC नीति और गोपनीयता नीति के अनुसार होगा, ताकि ग्राहक पहचान प्रक्रिया और ग्राहक उचित परिश्रम ( KYC प्रक्रिया ) की जा सके।

डिजिटल एफडी अकाउंट केवल एक व्यक्ति के नाम के तहत ही खोला जाएगा ( यह संयुक्त अकाउंट नहीं हो सकता )।

## **KYC प्रोसेस**

KYC फ्रेमवर्क के अनुपालन में, बचत अकाउंट खोलने के लिए KYC प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य है। बैंक KYC फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित तंत्रों के माध्यम से और अपनी आंतरिक KYC नीति के अनुसार KYC प्रक्रिया करेगा, जिसमें आपकी पहचान की जानकारी प्राप्त करना और उसे मान्य करना शामिल हो सकता है, जो तीसरे पक्ष के अधिकृत सर्विस प्रोवाइडरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं जैसे राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपोजीट निगम लिमिटेड ( NSDL ), डिजीलोकर्स, केंद्रीय KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री ( CKYCR ), केंद्रीय पहचान डेटा संग्रहण, क्रेडिट सूचना कंपनियाँ ( CIC ), और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( UIDAI ) से हो सकता है। आपको उन तीसरे पक्ष के सर्विस प्रोवाइडरों की शर्तों और नियमों को स्वीकार करना होगा, जिन्हें आप अपनी जानकारी, जिसमें KYC प्रक्रिया से संबंधित जानकारी भी शामिल है, बैंक के साथ शेयर करने के लिए अधिकृत करते हैं।

आप बैंक को SA सेवाओं के लिए KYC प्रक्रिया करने की स्पष्ट सहमति प्रदान करते हैं। KYC प्रक्रिया बैंक द्वारा निम्नलिखित तरीकों से KYC फ्रेमवर्क और KYC नीति के अनुसार की जा सकती है:

1. **परमानेंट अकाउंट नंबर ( "PAN" ) प्रदान करें** – आपको अपना PAN विवरण दर्ज करना होगा या पुष्टि करनी होगी, जिसे CICs से प्राप्त किया जा सकता है।
2. **पहचान जानकारी प्राप्त करना** - आपको अपना KYC पूरा करने के लिए, या तो आधार के ऑफलाइन वेरीफिकेशन के माध्यम से, या आधार के e-KYC प्रमाणीकरण के द्वारा, या हमें CKYCR या DigiLocker से आपके विवरण प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए कहा जाएगा। आप यहां बैंक को CKYCR से आपके KYC विवरण को वेरीफाई / check / प्राप्त / डाउनलोड करने की अनुमति देते हैं, जब भी KYC वेरीफिकेशन के उद्देश्य के लिए आवश्यकता हो; ( i ) आपके द्वारा प्रदान किए गए CKYC नंबर ( यानी, KYC पहचानकर्ता नंबर-KIN ) के माध्यम से उन विवरणों को वेरीफाई करके, या ( ii ) आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों के माध्यम से उस CKYC नंबर / KIN को प्राप्त करके। आप यह भी सहमति देते हैं कि CKYCR या DigiLocker से आपको SMS / e-Mail के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो, जो इस संबंध में आपके मोबाइल नंबर / e-Mail Id पर भेजी जाएगी। आप आगे सहमति देते हैं कि बैंक आपके KYC विवरण को CKYCR पर अपडेट करेगा, और इसके परिणामस्वरूप CKYCR से आपके विवरण को फिर से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. **नौकरी और आय विवरण:** आपको डिजिटल पोर्टल पर बचत अकाउंट सेट करने के लिए अपनी नौकरी और आय के विवरण प्रदान करने होंगे।
4. **वर्तमान अड्रेस:** आपको अपनी KYC वेरीफिकेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपना वर्तमान पता वेरीफाई करना होगा।
5. **बैंक अकाउंट वेरीफिकेशन:** यदि KYC आमने-सामने नहीं किया गया है, तो आपके Savings Account को सक्रिय करने के लिए पहला लेन-देन आपके KYC अनुपालन बैंक अकाउंट से आपके Savings Account में क्रेडिट होना चाहिए; या

6. **वीडियो KYC:** आपको KYC नीति और KYC फ्रेमवर्क के तहत वीडियो KYC पूरा करना होगा। आप सहमत हैं और यह स्वीकार करते हैं कि आप बैंक के साथ वीडियो KYC करने के लिए सभी आवश्यक अनुमतियाँ और सहमति देंगे।
7. OTP आधारित e-KYC प्रमाणीकरण ( UIDAI से ) के माध्यम से खोले गए अकाउंट:
  - ग्राहक समझते हैं और सहमत हैं कि एक सीमित KYC अकाउंट होने के कारण, अकाउंट संचालन सीमित रहेगा।
  - ग्राहक को डिजिटल सेविंग अकाउंट खोलने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण KYC पूरा करना चाहिए।
  - ग्राहक यह पुष्टि करते हैं कि उन्होंने किसी अन्य बैंक में Aadhaar-OTP e-KYC वेरीफिकेशन के माध्यम से कोई अकाउंट / डिपोजीट नहीं खोला है और न ही वे किसी अन्य बैंक में Aadhaar-OTP e-KYC वेरीफिकेशन के माध्यम से कोई अन्य अकाउंट खोलेंगे।

बैंक उपरोक्त KYC प्रक्रिया को उस तरीके से कर सकता है जिसे वह उचित समझे, बशर्ते कि यह KYC फ्रेमवर्क और KYC नीति के अनुरूप हो।

आप द्वारा प्रस्तुत जानकारी और दस्तावेजों की सफल वेरीफिकेशन के बाद, बैंक की विवेकाधिकार पर और KYC फ्रेमवर्क और KYC नीति के अनुसार KYC प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आपका सेविंग्स अकाउंट खोला जा सकता है।

आप बैंक को UIDAI से सीधे आपके डेमोग्राफिक / KYC विवरण प्राप्त करने के लिए अधिकृत करते हैं, जिसमें DigiLocker के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आपको Aadhaar आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली से अपने आप को प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं है और आप अपनी KYC जानकारी प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से सहमति देते हैं। आप समझते हैं कि यह तंत्र केवल उस विशेष लेन-देन के लिए आपकी पहचान प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं, जब तक कि लागू कानूनों के तहत अनुमति न हो। इस संबंध में, आप अपना Aadhaar नंबर प्रदान करने और स्वेच्छा से अपनी स्पष्ट सहमति देने के लिए सहमत हैं:

- आपके Aadhaar विवरण का उपयोग करना और Aadhaar आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने के लिए स्वयं को प्रमाणित करना।
- आपके Aadhaar नंबर को बैंक के साथ आपके सभी मौजूदा / नए / भविष्य के खातों और ग्राहक प्रोफाइल ( CIF ) से लिंक करना।

आप बैंक को अपनी Aadhaar संबंधित जानकारी नियामक और कानूनी निकायों के साथ शेयर करने का अधिकार देते हैं, जैसा कि लागू कानूनों के तहत आवश्यक है। इन शर्तों के तहत किसी भी बात के बावजूद, बैंक ग्राहक की KYC जानकारी, जिसमें Aadhaar विवरण भी शामिल है, लागू कानूनों के अनुसार संग्रहण और प्रसंस्करण करेगा।

### **ओटीपी आधारित आधार e-KYC प्रमाणीकरण**

1. आप सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि डिजिटल FD अकाउंट जो आमने-सामने नहीं परंतु OTP आधारित Aadhaar e-KYC प्रमाणीकरण के माध्यम से खोला गया है, उसमें सभी आपके डिपोजीट खातों का कुल बैलेंस एक लाख रुपये ( INR 1,00,000 ) से अधिक नहीं होगा। आप आगे समझते हैं और सहमत हैं कि एक वित्तीय वर्ष में, आपके सभी खातों में कुल क्रेडिट की राशि दो लाख रुपये ( INR 2,00,000 ) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. आप समझते हैं कि OTP आधारित e-KYC के माध्यम से खोला गया डिजिटल FD अकाउंट एक वर्ष से अधिक समय तक वैध नहीं रहेगा, जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) के मास्टर निर्देश - "नो योर कस्टमर ( KYC ) निर्देश, 2016" की धारा 16 या धारा 18 ( वीडियो KYC ) के तहत पहचान पूरी नहीं की जाती। आप सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि बैंक को OTP आधारित e-KYC के माध्यम से खोले गए अकाउंट को तुरंत बंद करने का अधिकार है यदि उपर्युक्त लिमिट्स, यानी एक लाख रुपये ( INR 1,00,000 ) और दो लाख रुपये ( INR 2,00,000 ), का उल्लंघन होता है।
3. आप सहमत हैं कि आपने कोई अन्य अकाउंट नहीं खोला है, और न ही आप किसी अन्य बैंक में OTP आधारित e-KYC के माध्यम से आमने-सामने के रूप में अकाउंट खोलेंगे।
4. आप बैंक को यह अधिकार देते हैं कि जब वह CKYCR में KYC जानकारी अपलोड करेगा, तो वह यह संकेत दे कि आपका डिजिटल FD अकाउंट OTP आधारित e-KYC के माध्यम से खोला गया है, और अन्य बैंक इस KYC जानकारी के आधार पर अकाउंट नहीं खोलेंगे।
5. आप बैंक को यह अधिकार देते हैं कि वह उपरोक्त प्रक्रियाओं की कड़ी निगरानी करे, जिसमें किसी भी असंगति / उल्लंघन की स्थिति में अलर्ट उत्पन्न करने के लिए सिस्टम शामिल हैं, ताकि उपरोक्त शर्तों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके।

### **वीडियो आधारित KYC**

1. वीडियो KYC प्रक्रिया केवल उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जो शारीरिक रूप से भारत में उपस्थित हैं और यदि उनकी लाइव लोकेशन के माध्यम से इसे पुष्टि किया जा सकता है, और यह केवल बैंक द्वारा निर्धारित कार्य समय के दौरान ही उपलब्ध होगी।
2. वीडियो KYC प्रक्रिया केवल अच्छे नेटवर्क / इंटरनेट में ही काम करेगी और ग्राहक को वीडियो KYC प्रक्रिया के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए यात्रा पृष्ठ पर सूचित किए गए आवश्यक दस्तावेज़ और सामग्री रखना चाहिए।
3. वीडियो KYC प्रक्रिया चुनने पर, ग्राहक और बैंक के अधिकारी के बीच एक दो-तरफा वीडियो कॉल शुरू किया जाएगा। वीडियो KYC प्रक्रिया के तहत, ग्राहक को बैंक के अधिकारियों द्वारा पूछे गए कुछ सवालों का जवाब देकर अपनी पहचान वेरीफाई करनी होगी।
4. ग्राहक को बैंक के अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करना होगा और सभी आवश्यक जानकारी / डेटा / दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे, जिसमें बैंक के अधिकारियों को उनकी तस्वीरें या विभिन्न दस्तावेज़ों की स्क्रीनशॉट लेने की अनुमति देना भी शामिल है, जैसे कि आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ ( OVD ), PAN आदि।
5. ग्राहक सहमति देते हैं और सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं, और वीडियो KYC प्रक्रिया के लिए सभी संबंधित डेटा / दस्तावेज़ आदि प्रदान करेंगे।
6. ग्राहक बैंक को वीडियो KYC प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किसी भी और सभी जानकारी / विवरण को एकत्रित करने, स्टोर करने, वेरीफाई करने और प्रोसेस करने की अनुमति देते हैं, जिसमें वीडियो कॉल स्वयं, और वीडियो कॉल के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज़ों / जानकारी को शामिल किया गया है।
7. यदि वीडियो कॉल के दौरान बैंक के अधिकारियों द्वारा दिखाए गए और वेरीफाई किए गए दस्तावेज़ बैंक की नीति और / या संबंधित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं होते हैं, तो आवेदन अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

7. जो ग्राहक डिजिटल एफडी सेवाओं के लिए वीडियो KYC प्रक्रिया का चयन करते हैं, वे सहमत होते हैं कि उनका अनुरोध वेरीफिकेशन के अधीन है और बैंक द्वारा विभिन्न कारणों से अस्वीकृत किया जा सकता है, जिसमें नीचे दिए गए कारण शामिल हैं:
  - i. ग्राहक या बैंक के तरफ से नेटवर्क / इंटरनेट समस्या के कारण कॉल कटना; या
  - ii. दस्तावेजों का मानदंड पूरा नहीं होना; या
  - iii. बैंक अधिकारी ग्राहक की फोटो या किसी दस्तावेज का स्क्रीनशॉट लेने में असमर्थ होना; या
  - iv. ग्राहक बैंक अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं; या
  - v. ग्राहक का स्थान भारत के बाहर है; या
  - vi. चेहरे का मेल न होना; या
  - vii. अपलोड किए गए दस्तावेजों की खराब गुणवत्ता; या
  - viii. बैंक की विवेकाधिकार पर किसी अन्य कारण से। ऐसे अस्वीकृति की स्थिति में,
8. ग्राहक समझते हैं कि वीडियो KYC प्रक्रिया बैंक के अधिकारियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

### **डिजिटल एफडी अकाउंट का संचालन**

1. डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित अनुबंध दरों पर किया जाएगा, जो बैंक की आंतरिक नीतियों के अनुसार होगा और उस दिन की वैध दिशानिर्देशों के आधार पर होगा, जब डिजिटल FD अकाउंट प्रभावी हुआ था। ब्याज दर डिजिटल FD अकाउंट की अवधि और अन्य कारकों पर निर्भर करेगी, जैसा कि बैंक द्वारा अधिसूचित किया गया है। ब्याज की गणना और भुगतान RBI और भारतीय बैंक्स संघ ( IBA ) द्वारा सुझाए गए सूत्रों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा, और लागू ब्याज दरों का विवरण यहाँ पाया जा सकता है।
2. बैंक अपनी विवेकाधिकार पर, निवासी भारतीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से डिजिटल FD योजनाएँ तैयार करेगा, जो सामान्य डिपोज़ीट योजनाओं की तुलना में उच्च और स्थिर ब्याज दरें प्रदान करेंगी, चाहे डिपोज़ीट राशि कोई भी हो।
3. डिजिटल FD अकाउंट खोलने के लिए प्रारंभिक फंडिंग की आवश्यकता होती है। बैंक का अधिकार है कि वह समय-समय पर न्यूनतम और अधिकतम प्रारंभिक फंडिंग सीमा और फंडिंग के मोड को निर्धारित करे। बैंक यह अधिकार भी रखता है कि जब तक फंड बैंक द्वारा प्राप्त नहीं होता, तब तक डिजिटल FD अकाउंट खोलने से मना कर सकता है। यदि बैंक को यह संदेह होता है कि प्रारंभिक फंडिंग ग्राहक से प्राप्त नहीं हुई है, यदि फंड अवैध स्रोत से प्राप्त हुए हैं, प्रारंभिक फंडिंग लेन-देन सफल नहीं हुआ है, या प्रारंभिक फंडिंग लेन-देन का भुगतान बैंक के पक्ष में तीन ( 3 ) दिनों के भीतर नहीं किया गया है, तो बैंक बिना किसी सूचना के डिजिटल FD अकाउंट बंद करने का अधिकार रखता है।
4. यदि भुगतान / प्रारंभिक फंडिंग के 3 कार्यदिवसों के भीतर आवश्यक V-CIP ( वीडियो KYC ) प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो बैंक को बिना किसी ब्याज के डिपोज़ीट राशि वापस करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. बैंक की पूर्ण विवेकाधिकार पर, सार्वजनिक अवकाश पर डिजिटल FD अकाउंट खोलने या नवीकरण को उसी दिन या तुरंत बाद के कार्य दिवस पर खोला या नवीनीकरण किया गया दिखाया जा सकता है।
6. बैंक को किसी भी डिजिटल FD सेवा को 30 ( तीस ) दिनों का नोटिस देकर समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। यह नोटिस डिजिटल पोर्टल के माध्यम से या बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य किसी भी तरीके से दिया जा सकता है।
7. बैंक को ग्राहक के डिजिटल FD अकाउंट को बंद करने का अधिकार है यदि अकाउंट संचालन या व्यवहार संतोषजनक नहीं है, या यदि बैंक को यह लगता है कि ऐसे अकाउंट का संचालन बैंक के हितों के लिए हानिकारक है।



8. ग्राहक को डिजिटल FD खोलने के अनुरोध में परिपक्वता निर्देश स्पष्ट रूप से देने चाहिए। यदि ग्राहक ने कोई परिपक्वता निर्देश नहीं दिया है, तो डिजिटल FD परिपक्वता की नियत तिथि पर स्वचालित रूप से नवीनीकरण हो जाएगा, बिना बैंक की किसी भी जिम्मेदारी के, मूलधन और ब्याज ( या यदि ब्याज पहले ही भुगतान किया जा चुका है, तो केवल मूलधन ) के लिए, उसी अवधि पर, उस दिन के मौजूदा ब्याज दर पर।
9. डिजिटल FD को कभी भी निकाला जा सकता है, लेकिन इसे कम से कम 7 दिन तक रखना होगा। 7 दिन के बाद, बैंक ब्याज देगा, और FD पर कोई भी शुल्क नहीं होगा। अगर FD को जल्दी निकाला जाता है, तो यह उस ब्याज दर पर ब्याज देगा जो उस समय लागू होगी, न कि पहले तय की गई दर पर। अगर ग्राहक ने FD की पूर्व-निकासी का आदेश दिया है, तो बैंक पहले से दिए गए ब्याज या जुर्माना, जो लागू हो, को FD से निकालने का अधिकार रखता है। यदि FD को 7 दिन के अंदर निकाला जाता है, तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर FD को 3 दिन के भीतर निकाला जाना है, तो ग्राहक को [customercare@nesfb.com](mailto:customercare@nesfb.com) या [help@sliceit.com](mailto:help@sliceit.com) पर अनुरोध भेजना होगा। 3 दिन बाद, निकासी डिजिटल पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी।
10. बैंक आपके द्वारा की गई डिजिटल FD डिपोजीट पर ब्याज कैल्कुलेट करता है, जो वर्ष के वास्तविक दिनों की संख्या ( i.e., लीप वर्ष में 366 दिन और सामान्य वर्ष में 365 दिन ) के आधार पर होता है।
11. बैंक के पास ग्राहक की जानकारी को प्रकट करने का अधिकार है, यदि यह लागू कानून द्वारा आवश्यक या अनुमति प्राप्त हो, किसी भी वैधानिक, नियामक या न्यायिक प्राधिकरण के अनुरोध या आदेश पर, या यदि ऐसा धोखाधड़ी को रोकने के लिए आवश्यक हो।

ग्राहकों को FD अडवाइस या रसीद में किए गए एंटीज़ को ध्यान से जांचना चाहिए और किसी भी गलती, कमी या अंतर को बैंक के ध्यान में लाना चाहिए, FD अडवाइस या रसीद प्राप्ति की तिथि से 30 ( तीस ) दिनों के भीतर। अन्यथा, एंटीज़ को सही और ग्राहक द्वारा स्वीकार किया गया माना जाएगा, और ग्राहक इसके बाद किसी भी प्रश्न या विवाद का अधिकार नहीं रखेगा।

## 12. नामांकन

नामांकन सुविधा लागू कानूनों के अनुसार उपलब्ध है, जिसमें 1985 के बैंकिंग कंपनियां ( नामांकन ) नियम शामिल हैं। ग्राहक को डिजिटल FD सेवाओं का लाभ लेते समय अनिवार्य रूप से एक नामांकित व्यक्ति ( जो एक व्यक्ति होना चाहिए ) नामित करना होगा। यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग है, तो अभिभावक का नाम निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। यदि ग्राहक ने नामांकन सुविधा का लाभ उठाया है, तो बैंक अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होगा और नामांकित व्यक्ति को भुगतान करके डिजिटल FD के तहत उपलब्ध फंड्स का निपटान करेगा, बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, जब तक कोर्ट का आदेश विशेष रूप से इसे निषेध न करे।

- i. ग्राहक को किसी व्यक्ति को नामित करना होगा, जो ग्राहक के निधन की स्थिति में डिजिटल FD की राशि और उस पर होने वाले भुगतान का अधिकार प्राप्त करेगा। यदि डिजिटल FD अकाउंट खोलने के समय नामांकन नहीं किया गया है, तो ग्राहक इसे FD रसीद / सलाह जारी होने के बाद, लेकिन परिपक्वता से पहले, बैंक की आंतरिक नीतियों के अनुसार किसी भी विधि से कर सकता है।
- ii. यदि ग्राहक के निधन के मामले में नामांकन लागू है, तो नामांकित व्यक्ति डिजिटल FD की परिपक्वता से पहले या बाद में कभी भी डिपोजीट राशि का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार रखेगा। इसके लिए, जीवित नामांकित व्यक्ति को बैंक से आवेदन करना होगा, जो सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ समर्थन प्राप्त होगा।
- iii. डिजिटल FD अकाउंट के लिए केवल एक नामांकित व्यक्ति की अनुमति है और नामांकित एक व्यक्ति होना चाहिए।

- iv. ग्राहक को नामांकित व्यक्ति को बदलने का अधिकार है, और वह बैंक द्वारा निर्धारित उचित फॉर्म / विधि के माध्यम से नामांकन को संशोधित कर सकता है, जब तक डिजिटल FD अकाउंट बैंक के पास है।
- v. ग्राहक बैंक को अपने डिजिटल FD अकाउंट के संबंध में नामांकन, रद्दीकरण या नामांकन में किसी भी बदलाव के लिए निर्देश देने का अधिकार देता है। ग्राहक बैंक को इस पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा और बैंक के खिलाफ किसी भी दावा के लिए बैंक को मुक्त करेगा, जो ग्राहक द्वारा दिए गए नामांकन निर्देश पर आधारित हो।
- vi. यदि कोई नामांकित व्यक्ति नहीं है, तो बैंक डिजिटल FD में किसी भी और सभी धनराशियों को तब तक बनाए रख सकता है जब तक कि वह अकाउंट धारक के उत्तराधिकारी / कानूनी उत्तराधिकारी की पहचान और योग्यताओं को संतुष्ट रूप से स्थापित नहीं कर लेता, जिसमें लागू कानून के अनुसार प्रमाण पत्र भी शामिल हो सकता है।
- vii. नामांकन के लाभ- बैंक सभी ग्राहकों को नामांकन सुविधा का उपयोग करने की सिफारिश करता है। यदि ग्राहक का निधन हो जाता है, तो नामांकित व्यक्ति को डिजिटल FD की परिपक्वता राशि प्राप्त होगी। नामांकन सुविधा केवल व्यक्तिगत डिपोजीट धारकों के लिए है। बैंक तब तक डिजिटल FD की परिपक्वता राशि को रख सकता है जब तक वह कानूनी उत्तराधिकारी (यों) की पहचान और योग्यताओं को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर लेता, और इस संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज़ की जांच करने का अधिकार बैंक के पास रहेगा, जिसमें उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र और / या एक प्रमाणित वसीयत शामिल हो सकती है। इसके बावजूद, यदि ग्राहक का निधन हो जाता है, तो बैंक यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कानून और न्याय के तहत उपलब्ध सभी उपायों का उपयोग करने का निर्णय ले सकता है, ताकि बैंक से किसी भी बकाया राशि की वसूली उसके उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति से की जा सके।

### 13. टेक्स डीडकटेड एट सोर्स ( "TDS" )

- i. सभी कर, शुल्क, लेवी या अन्य वैधानिक शुल्क और अन्य शुल्क जो इन डिजिटल एफडी के शर्तों के अनुसार मिलने वाले लाभों के संबंध में लागू होते हैं, ग्राहक से वसूले जाएंगे।
- ii. यदि डिजिटल एफडी पर बैंक द्वारा भुगतान किए गए या देय ब्याज की राशि वित्तीय वर्ष में आयकर अधिनियम, 1961 ( "आईटी अधिनियम" ) द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है, तो डिजिटल एफडी पर ब्याज पर स्रोत पर कर ( टीडीएस ) काटा जाएगा। वर्तमान में, इस उद्देश्य के लिए सीमा ₹40,000 प्रति वर्ष है, सिवाय वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों के लिए, जिनके लिए यह सीमा ₹50,000 प्रति वर्ष होगी, जो समय-समय पर लागू कानूनों के अनुसार संशोधित की जा सकती है। जब वित्तीय वर्ष में कुल ब्याज भुगतान सीमा से अधिक हो जाता है, तो उस कुल ब्याज पर टीडीएस, जो सीमा को पार करता है, नवीनतम ब्याज क्रेडिट / फ्लो से वसूला जाएगा। यदि टीडीएस वसूली योग्य राशि ब्याज क्रेडिट / फ्लो राशि से अधिक है, तो बैंक द्वारा उस डिजिटल एफडी पर लिन लगाया जाएगा, जिसका ब्याज फ्लो सीमा को पार करने का कारण बना। कमी को ग्राहक को अगली ब्याज फ्लो / क्रेडिट से या यदि डिजिटल एफडी की परिपक्वता पर ब्याज भुगतान कमी राशि से कम है तो डिजिटल एफडी राशि से वसूला जाएगा।
- iii. डिजिटल एफडी ( जो त्रैमासिक / मासिक ब्याज भुगतान के साथ है ) के लिए, प्रत्येक ब्याज भुगतान पर और प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को संचित ब्याज पर कर कटौती की जाती है। क्यूमुलेटिव डिजिटल एफडी के लिए, कर कटौती प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को संचित ब्याज पर और परिपक्वता पर की जाती है। संचित ब्याज पर गणना की गई टीडीएस राशि बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से कर अधिकारियों को सौंप दी जाती है। 1 अप्रैल से लेकर डिजिटल एफडी की परिपक्वता तक टीडीएस राशि पर ब्याज को ग्राहक को देय ब्याज से समायोजित किया जाता है।
- iv. वित्त अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी, सभी ग्राहकों को जिनसे कर काटा जाना है, एक वैध पैन ( PAN ) प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि पैन वैध नहीं है, तो कर को मौजूदा दर या 20%, जो भी

अधिक हो, उस दर से काटा जाएगा। इसके अतिरिक्त, फॉर्म 15G / 15H तब तक मान्य नहीं माने जाएंगे जब तक कि पैन उस फॉर्म में उल्लेखित न हो। यदि ग्राहक नहीं चाहते कि स्रोत पर TDS ( कर कटौती ) किया जाए, तो वे बैंक को फॉर्म 15G / 15H ( कंपनी, फर्म या सहकारी सोसाइटी को छोड़कर ) / धारा 197 के तहत छूट प्रमाण पत्र / या कोई अन्य कर छूट प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यह फॉर्म या कर छूट प्रमाण पत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए और प्रत्येक डिजिटल एफडी के नवीनीकरण पर बैंक को प्रस्तुत करना होगा।

14. बैंक किसी भी अनधिकृत उपयोग के लिए और उसके परिणामस्वरूप आपके द्वारा होने वाले किसी भी नुकसान या हानि के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इंकार करता है, और आप बैंक को ऐसी किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त करते हैं।
15. आप डिजिटल FD सलाह या रसीद की सुरक्षित रखवाली के लिए जिम्मेदार हैं। यदि इसका दुरुपयोग होता है, तो आपको तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए।

#### 15. मृतक ग्राहकों के डिजिटल एफडी खातों के मामले में ब्याज का भुगतान

अगर किसी डिजिटल FD धारक का निधन हो जाता है, तो ब्याज निम्नलिखित तरीके से भुगतान किया जाएगा:

- i. यदि दावे का भुगतान डिपोज़िट की परिपक्वता की तारीख को होता है, तो परिपक्वता राशि निर्धारित ब्याज दर पर भुगतान की जाएगी।
- ii. यदि डिपोज़िट की परिपक्वता तिथि से पहले निकासी की जाती है, तो डिपोज़िट पर ब्याज उस अवधि के आधार पर भुगतान किया जाएगा, जिस अवधि तक डिपोज़िट बैंक के पास रहा, और वो भी बिना किसी पेनल्टी के।
- iii. नामांकित व्यक्ति टर्म डिपोज़िट की मौजूदा परिपक्वता निर्देश में परिवर्तन का अनुरोध नहीं कर सकता।

#### 16. लापता ग्राहकों के लिए दावा निपटान

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, मृत्यु का अनुमान केवल तब लगाया जा सकता है जब व्यक्ति की गुमशुदगी की तारीख से सात वर्ष बीत चुके हों। इसलिए, नामांकित व्यक्ति / कानूनी उत्तराधिकारी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के तहत एक सक्षम न्यायालय में व्यक्ति की मृत्यु का स्पष्ट अनुमान प्रस्तुत करना होगा। यदि न्यायालय यह मानता है कि वह व्यक्ति मृत है, तो गुमशुदा व्यक्ति के मामले में दावा उसी आधार पर निपटाया जा सकता है।

#### बैंकर लिन और सेट-ऑफ

1. बैंक को सेट-ऑफ और लियन का सर्वोपरि अधिकार होगा, चाहे कोई अन्य लियन या शुल्क वर्तमान में हो या भविष्य में, उस सभी डिपोज़िट राशि पर जो ग्राहक के नाम पर बैंक के पास रखी जाती हैं, चाहे वह एकल नाम में हो या संयुक्त नामों में, ग्राहक द्वारा बैंक की किसी भी सेवा का उपयोग करने या अन्य किसी सुविधा के कारण जो बैंक ने ग्राहक को प्रदान की हो, उत्पन्न होने वाली सभी देनदारियों तक।
2. बैंक को बिना किसी सूचना के ग्राहक द्वारा बैंक को किसी भी प्रकार की देनदारी, चाहे वह वास्तविक हो या संभावित, मुख्य या सहायक, या संयुक्त और / या व्यक्तिगत हो, का निपटान करने का अधिकार होगा, जिसमें ग्राहक द्वारा बैंक को दिए गए किसी भी मुआवजे के तहत उत्पन्न होने वाली देनदारियाँ या अन्य किसी दस्तावेज़ / समझौते के तहत देनदारियाँ शामिल हैं, इसे ग्राहक द्वारा बैंक के पास रखे गए किसी भी डिजिटल एफडी के लिन और सेट-ऑफ द्वारा किया जाएगा, भले ही डिजिटल एफडी उस देनदारी के समान मुद्रा में न हो।
3. बैंक के अधिकार ग्राहक की दिवालियापन, दिवालियापन की स्थिति, मृत्यु या तरलता ( विनिर्माण ) से प्रभावित नहीं होंगे।

4. बैंक के सेट-ऑफ, लियन या किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त, जो उसे किसी भी समय कानून, अनुबंध या अन्य किसी कारण से प्राप्त हो सकते हैं, ग्राहक बैंक को अधिकृत करता है:
  - i. ग्राहक के सभी या किसी भी अकाउंट और बकाया राशि को बैंक के साथ या बैंक के पक्ष में किसी भी समय जोड़ने या समेकित करने के लिए बैंक को अधिकार प्रदान करता है; और
  - ii. ग्राहक के नाम पर किसी भी डिजिटल FD पर बैंक में जो भी क्रेडिट बैलेंस ( चाहे वह अभी देय हो या नहीं ) है, उसे किसी भी समय ( ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना ) बैंक द्वारा ग्राहक की किसी भी या सभी बकायों ( चाहे वे वर्तमान हों या भविष्य में, वास्तविक हों या संभावित, प्राथमिक हों या सहायक, या एकल या संयुक्त ) को पूरा करने के लिए लागू, सेट-ऑफ या ट्रांसफर करने का अधिकार बैंक को है, जो FD शर्तों या बैंक द्वारा ग्राहक को दी गई किसी अन्य सुविधा की शर्तों के तहत हो सकती है।
5. बैंक को इस अनुच्छेद के तहत अपने किसी भी अधिकार का उपयोग करने का कोई दायित्व नहीं होगा।
6. उपरोक्त उल्लिखित बैंक के अधिकार ग्राहक के द्वारा बैंक को समय पर सभी बकाए का भुगतान करने की प्रतिबद्धता पर प्रभाव डाले बिना हैं, और यह किसी अन्य अधिकारों पर भी प्रभाव नहीं डालते हैं जो बैंक के पास ग्राहक के खिलाफ बकाए की वसूली के लिए हो सकते हैं।

### **जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम ( DICGC )**

प्रत्येक ग्राहक को डिपोज़ीट बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम ( DICGC ) द्वारा अधिकतम पांच ( 5 ) लाख INR तक बीमित किया जाता है, या समय-समय पर अपडेट के अनुसार, उसी अधिकार और समान क्षमता में उनके द्वारा रखे गए मूलधन और ब्याज की राशि के लिए।

### **ग्राहक वचन और घोषणाएँ**

आप निम्नलिखित पर सहमति व्यक्त करते हैं, घोषित करते हैं और पुष्टि करते हैं:

1. आप नियमित रूप से बैंक द्वारा किए गए किसी भी परिवर्तन, संशोधन या सुधार को, यदि कोई हो, बैंक की वेबसाइट या ऐप पर जाकर समीक्षा करेंगे, जहां ये डिजिटल FD शर्तें उपलब्ध कराई गई हैं।
2. आपका अकाउंट बैंक द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफॉर्म, बैंक द्वारा पैनल में शामिल BCs, या बैंक के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय शाखा में खोला जाएगा।
3. आप अपनी स्वयं की स्रोतों से डिजिटल FD को फंड कर रहे हैं और राशि बैंक के साथ आपके द्वारा बनाए गए अकाउंट या किसी अन्य बैंक से आपके द्वारा बताए गए अकाउंट से ट्रांसफर की जा रही है, जैसा कि अकाउंट खोलने के आवेदन फॉर्म / अनुरोध में कहा गया है।
4. यदि आप नॉन फेस-टु-फेस अकाउंट ( सीमित KYC अकाउंट ) खोलते हैं, तो अकाउंट खोलने के आवेदन फॉर्म / अनुरोध में उल्लिखित आधार और PAN विवरण आपके संबंधित हैं। आपने बैंक या किसी अन्य बैंक के साथ OTP आधारित e-KYC का उपयोग करके कोई अन्य अकाउंट नहीं खोला है, और न ही आप भविष्य में ऐसा अकाउंट खोलेंगे जब तक कि आप डिजिटल FD सेवाओं के संबंध में बैंक के साथ पूर्ण KYC प्रक्रिया पूरी नहीं करते।
5. यदि डिजिटल FD अकाउंट किसी भी कारण से बंद किया जाता है, तो बैंक, सेट-ऑफ के अधिकार ( यदि कोई हो ) के बाद, आपके द्वारा डिजिटल FD अकाउंट बनाने के लिए प्राप्त किए गए धन को स्रोत अकाउंट में वापस

क्रेडिट करके आपको भुगतान कर सकता है, जो इस संबंध में बैंक की जिम्मेदारी को पूरा करने के रूप में वैध माना जाएगा।

6. आप सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि बैंक के पास स्रोत अकाउंट में पुनः राशि स्थानांतरित करने का कोई दायित्व नहीं है, जब तक कि उसे इस बात का विश्वास नहीं हो जाता कि स्रोत अकाउंट वास्तव में आपका है। यदि उपरोक्त तरीके से रिफंड सफल नहीं होता है, तो बैंक उपलब्ध राशि को अपने पास रख सकता है, और आप सहमत हैं कि आप बैंक से संपर्क करके ( सेट-ऑफ के अधिकार के बाद ) प्राप्ति की राशि प्राप्त करेंगे। आप [customercare@nesfb.com](mailto:customercare@nesfb.com) पर बैंक से संपर्क कर सकते हैं।
7. आप बैंक को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वह आपकी डिजिटल FD अकाउंट से संबंधित किसी भी या सभी जानकारी ( जिसमें व्यक्तिगत संवेदनशील डेटा या जानकारी शामिल हो ), चाहे वह सीधे आप द्वारा प्रदान की गई हो या अन्यथा, बैंक द्वारा संलग्न किसी तीसरे पक्ष के साथ या जिनके साथ बैंक का व्यावसायिक संबंध है, विनिमय, शेयर, खुलासा या उन्हें अन्यथा वितरित करे, जैसा कि कोई भी कानून, नियम या विनियमन आवश्यक / अनुमति देता है, या जैसा कि बैंक द्वारा आवश्यक हो। आप बैंक या उसके एजेंट्स / प्रतिनिधियों को ऐसी जानकारी उपयोग / शेयर करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे।
8. आप सहमति व्यक्त करते हैं कि बैंक के पास सभी डिपोज़िट / बैलेंस पर सेट-ऑफ और लियन का प्रमुख अधिकार होगा, चाहे वह वर्तमान हो या भविष्य में हो, जो आपके किसी भी अकाउंट में हो, चाहे वह एकल नाम में हो या संयुक्त नामों में। बैंक अपनी विशिष्ट अधिकारों के उल्लंघन के बिना, किसी भी अन्य समझौतों के तहत, अपनी विशुद्ध विवेकाधिकार से और बिना आपको सूचित किए कभी भी ऐसे अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

### **ऑटो डिपोज़िट**

जब एक ग्राहक मासिक आधार पर फिक्स्ड डिपॉजिट बनाने का विकल्प चुनता है, तो इन शर्तों और नियमों का पालन किया जाएगा। ग्राहक सहमति देता है और यह स्वीकार करता है कि ऑटो डिपॉजिट्स बैंक द्वारा प्रदान की गई डिजिटल FD सेवाओं का एक उपसमुच्चय होंगे। डिजिटल FD पर लागू सभी अन्य शर्तें और नियम इन शर्तों के अतिरिक्त लागू रहेंगे।

इन शर्तों और नियमों को स्वीकार करके, ग्राहक यह पुष्टि करता है कि उन्होंने इन शर्तों को पढ़ा, समझा और इन शर्तों, डिजिटल FD शर्तों और मोबाइल बैंकिंग शर्तों से सहमति व्यक्त की है।

यहां परिभाषित नहीं किए गए पूंजीकृत शब्दों का अर्थ मोबाइल बैंकिंग शर्तों और / या डिजिटल FD शर्तों में दिए गए अर्थ के अनुसार होगा।

**"ऑटो डिपॉजिट्स"** एक प्रणालीबद्ध डिपॉजिट योजना को संदर्भित करेगा, जो ग्राहकों को नियमित अंतरालों पर ( सामान्यतः मासिक ) एक निश्चित राशि को एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में निवेश करने की अनुमति देती है। ऑटो डिपॉजिट्स के तहत किए गए प्रत्येक डिपॉजिट को एक अलग डिजिटल FD के रूप में माना जाएगा, जिसका अपना ब्याज दर होगा, जो प्रत्येक डिपॉजिट के साथ बैंक में बनाए जाने के समय निर्धारित किया जाएगा।

**"फिक्स्ड अकाउंट"** उस ऑनलाइन बचत अकाउंट को संदर्भित करेगा, जिसे बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसे ग्राहक डिजिटल पोर्टल के माध्यम से खोल सकते हैं।

### **पात्रता**

केवल वे ग्राहक जिनका सक्रिय बचत अकाउंट बैंक के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से खोला गया है, वे ऑटो डिपॉजिट के लिए पात्र होंगे। जिन ग्राहकों का बचत अकाउंट भौतिक शाखा की यात्रा के माध्यम से खोला गया है, वे ऑटो डिपॉजिट के लिए पात्र नहीं होंगे।

## शर्तें

1. ऑटो डिपॉजिट का विकल्प चुनकर, आप यह सहमति देते हैं कि आप एक स्थायी निर्देश सेट करेंगे ताकि हर महीने आपके द्वारा चुने गए निश्चित राशि को आपके बैंक के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से खोले गए बचत अकाउंट से स्वचालित रूप से स्थानांतरित किया जाए और प्रत्येक महीने एक नया फिक्स्ड डिपॉजिट बनाया जाए।
2. ऑटो डिपॉजिट के तहत प्रत्येक डिपोज़िट को एक अलग डिजिटल एफडी के रूप में माना जाएगा, और अवधि ( जो ग्राहक द्वारा चुनी गई होगी ) प्रत्येक डिपोज़िट निर्देश के वास्तविककरण की तारीख से शुरू होगी, जैसा कि आपने स्थायी निर्देशों के माध्यम से प्रदान किया है।
3. प्रत्येक डिजिटल एफडी के लिए एक अलग फिक्स्ड डिपॉजिट नंबर जारी किया जाएगा और बैंक प्रत्येक डिपोज़िट के लिए अलग-अलग फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद / सलाह जारी करेगा।
4. ऑटो डिपॉजिट बनाने के लिए न्यूनतम अवधि और राशि यहाँ पाई जा सकती है।
5. पहले डिपॉजिट के लिए चयनित डिपोज़िट अवधि और राशि सभी भविष्य के डिपॉजिट्स पर लागू होगी, जिसमें न्यूनतम अंतर 28 दिन होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आप ₹5,000 की मासिक राशि के साथ एक साल की अवधि के लिए ऑटो डिपॉजिट शुरू करते हैं, जो 1 जनवरी 2024 से शुरू होता है, तो आपके पास ₹5,000 की 12 अलग-अलग डिजिटल एफडी होगी। ये डिपॉजिट्स प्रत्येक महीने की 1 तारीख को शुरू होंगी, और प्रत्येक डिजिटल एफडी की अवधि एक साल होगी।

## 6. ऑटो डिपोज़िट की स्वीकृति:

- i. बैंक ग्राहक द्वारा चयनित ऑटो डिपॉजिट के तहत डिपोज़िट को अपनी पूरे विवेकाधिकार पर स्वीकार कर सकता है, और यह शर्तों और नियमों के अधीन होगा जो यहां दिए गए हैं।
- ii. बैंक केवल उन्हीं बचत खातों से ऑटो डिपॉजिट के तहत डिपोज़िट स्वीकार करेगा, जो बैंक के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से खोले गए हैं।
- iii. बैंक ऑटो डिपॉजिट के तहत डिपोज़िट स्वीकार करेगा, बशर्ते वह बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम डिपोज़िट राशि की शर्तों के अनुसार हो। बैंक को ऑटो डिपॉजिट के लिए आवेदन स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार है, और इसके लिए कोई कारण देने का कर्तव्य नहीं है। ऐसे अस्वीकृत आवेदन के संबंध में राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, और बैंक उक्त राशि को 7 ( सात ) दिनों के भीतर वापस करने का प्रयास करेगा।

## 7. ब्याज

- i. ऑटो डिपॉजिट के तहत डिपोज़िट हर महीने के डिजिटल FD के निर्माण की तारीख पर लागू ब्याज दर पर बुक किए जाएंगे, जो बैंक की आंतरिक नीतियों और लागू कानूनों के अधीन होंगे।
- ii. बैंक अपनी विवेकाधिकार पर, विशेष रूप से निवासी भारतीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च ब्याज दरें प्रदान कर सकता है।
- iii. प्रत्येक डिजिटल एफडी पर ब्याज, ऑटो डिपॉजिट्स के तहत, उस तारीख से गणना किया जाएगा जब बैंक को आपके द्वारा डिजिटल पोर्टल के माध्यम से खोले गए बचत अकाउंट से खड़ा किए गए निर्देशों के माध्यम से वास्तविक रूप से धन प्राप्त होगा।

## 8. पेमेंट और रिन्युअल

- i. ब्याज भुगतान, पूर्व-निकासी राशि और परिपक्वता राशि ( जब तक परिपक्वता की तारीख से पहले निर्धारित अवधि में नवीनीकरण के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता ), बैंक के उस बचत अकाउंट में की जाएगी जो ग्राहक ने डिजिटल पोर्टल के माध्यम से खोला है।

- ii. नवीनीकरण की स्थिति में, ऑटो डिपॉजिट्स को उसी अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा जो ग्राहक द्वारा पहले ऑटो डिपॉजिट के लिए चयनित की गई थी।
- iii. ऑटो डिपॉजिट्स का नवीनीकरण उस तारीख के मौजूदा ब्याज दर और अन्य शर्तों एवं नियमों के अधीन होगा, जब नवीनीकरण किया जाएगा।
- iv. यदि ग्राहक ने पहले ऑटो डिपॉजिट बनाने के समय नवीनीकरण का विकल्प चुना हो, लेकिन बाद में नवीनीकरण अनुरोध को रद्द करना चाहता हो, तो रद्दीकरण अनुरोध डिजिटल पोर्टल के माध्यम से या ग्राहक बैंक से संपर्क करके help@sliceit.com पर भेज सकता है, और यह नवीनीकरण की तारीख से कम से कम 3 (तीन) कार्य दिवस पहले किया जाना चाहिए।

## 9. स्थायी निर्देश / ऑटो-डेबिट सुविधा

- i. आप सहमति देते हैं और स्वीकृति देते हैं कि ऑटो डिपॉजिट के तहत डिजिटल एफडी बनाने के लिए प्रत्येक डेबिट आपके द्वारा बैंक के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से खोले गए आपके बचत अकाउंट पर एक आदेश / स्थायी निर्देश होगा।
  - ii. जब ग्राहक ऑटो डिपॉजिट्स का चयन करता है, तो पहले महीने के लिए पहला डिजिटल एफडी बनाया जाएगा और उसके बाद के मासिक डिजिटल एफडी को एक स्थायी निर्देश जारी करके बनाया जाएगा, जिसे ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट तारीख पर हर महीने प्रस्तुत किया जाएगा। स्पष्टता के लिए, पहले डिपोजीट के बाद कोई भी सबसीक्वेंट डिपोजीट किसी अन्य भुगतान मोड के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिवाय स्थायी निर्देशों के।
  - iii. आप बैंक को यह भी अधिकृत करते हैं कि वह हर महीने आपके अकाउंट से निर्दिष्ट राशि स्वचालित रूप से डेबिट करेगा, जिस दिनांक को आपने चुना है, जब तक ऑटो डिपॉजिट की अवधि पूरी नहीं हो जाती या जब तक आप ऑटो डिपॉजिट को पूर्व-समाप्त नहीं करना चाहते।
  - iv. ऑटो डिपॉजिट के तहत, यदि ग्राहक के बचत अकाउंट में पर्याप्त धन की कमी के कारण ऑटो डेबिट सुविधा / स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का उल्लंघन होता है, तो उस विशेष महीने के लिए डिजिटल FD नहीं बनाई जाएगी। यदि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को लगातार तीन महीनों के लिए अस्वीकृत किया जाता है, तो बैंक को ऑटो डिपॉजिट को रद्द करने का अधिकार होगा। बैंक ऐसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के उल्लंघन पर शुल्क भी लगाने का अधिकार रखता है।
  - v. ग्राहक किसी भी समय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को रद्द कर सकते हैं, जिसके द्वारा ऑटो डिपॉजिट को रोका जा सकता है। रद्दीकरण से पहले जो भी डिजिटल FDs ऑटो डिपॉजिट के तहत बनाई गई हैं, वे वैध बनी रहेंगी। हालांकि, एक बार रद्द करने के बाद, ऑटो डिपॉजिट को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि ग्राहक रद्दीकरण के बाद ऑटो डिपॉजिट के तहत नया डिपोजीट स्थापित करना चाहते हैं, तो उन्हें एक नई ऑटो डिपॉजिट अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।

## 10. समय से पहले निकासी

- i. चूंकि ऑटो डिपॉजिट के तहत अलग-अलग डिजिटल FDs बनाई जाती हैं, इसलिए प्रत्येक अलग डिजिटल FD के लिए प्री-मैच्योर विद्रावल अनुरोध किया जा सकता है।
- ii. ऑटो डिपॉजिट का प्री-मैच्योर विद्रावल एक डिजिटल FD या सभी डिजिटल FDs के लिए किया जा सकता है, जो उसी ऑटो डिपॉजिट के तहत बनाई गई हों।
- iii. ऑटो डिपॉजिट के तहत बनाई गई एक डिजिटल FD का प्री-मैच्योर विद्रावल किसी भी तरह से उसी ऑटो डिपॉजिट के तहत सबसीक्वेंट डिजिटल FDs की निर्माण को प्रभावित नहीं करेगा।
- iv. ऑटो डिपॉजिट के तहत एक या अधिक डिजिटल FDs का प्री-मैच्योर विद्रावल उस पर लागू पेनल्टी आकर्षित करेगा, जैसा कि शुल्क तालिका में उल्लेखित है।
- v. अगर एक या अधिक डिजिटल FDs का प्री-मैच्योर क्लोजर या विद्रावल किया जाता है, तो प्रत्येक डिजिटल FD को उस दर पर ब्याज मिलेगा जो बैंक में वास्तव में रहने वाले टर्म डिपॉजिट पर लागू होती है, न कि अनुबंधित दर पर। ग्राहक के निर्देशों पर डिजिटल FDs का प्री-मैच्योर विद्रावल होने पर, बैंक

को लागू कानूनों के अनुसार डिजिटल FD( s ) की प्राप्ति से पहले से भुगतान किया गया ब्याज या पेनल्टी ( यदि कोई हो ) वसूलने का अधिकार होगा।

### **अन्य वेब साइटों के लिंक**

बैंक की अपनी वेबसाइट या एप्लिकेशन के अलावा अन्य वेबसाइटों, इंटरफेस या एप्लिकेशनों के लिंक केवल डिजिटल FD सेवाओं से संबंधित जानकारी के लिए दिए गए हैं। इन लिंक का समावेश इस बात का संकेत नहीं है कि बैंक उन वेबसाइटों पर उपलब्ध विचारों, उत्पादों, सेवाओं या जानकारी को मंजूरी देता है या इसके लिए जिम्मेदार है, और न ही ये वेबसाइटों की सामग्री के बारे में किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बैंक को उन तीसरे पक्ष की वेबसाइटों, इंटरफेस या एप्लिकेशनों की सामग्री पर कोई नियंत्रण नहीं है। बैंक इन वेबसाइटों की सामग्री के बारे में कोई भी गारंटी नहीं देता, जिसमें इनकी सटीकता, प्रामाणिकता, पूर्णता, उपयोगिता, विश्वसनीयता शामिल हैं, और न ही बैंक यह गारंटी देता है कि ऐसी वेबसाइट या सामग्री में कोई कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या अन्य अधिकारों का उल्लंघन नहीं है या कि ऐसी साइट या सामग्री वायरस या अन्य दूषित तत्वों से मुक्त है।

यदि आप बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं की जाने वाली किसी वेबसाइट, इंटरफेस या एप्लिकेशन पर लिंक का पालन करते हैं, तो आपको यह अपनी जोखिम पर करना होगा। एक बार जब आप तीसरी पक्ष की वेबसाइट या एप्लिकेशन इंटरफेस पर पुनः निर्देशित हो जाते हैं, तो उन वेबसाइटों, इंटरफेस या एप्लिकेशनों के सेवा उपयोग की शर्तें और गोपनीयता नीति आपके ऊपर लागू होंगी।

### **क्षतिपूर्ति और दायित्व का अस्वीकार**

आप, अपनी पूरी लागत पर, बैंक, उसके सहयोगियों, लाइसेंसियों और उसके अधिकारियों, निदेशकों, एजेंटों और कर्मचारियों को सभी दावों, मांगों, क्षतिपूर्ति, हानियों, लागतों और खर्चों ( जिसमें वकीलों की फीस शामिल है ) से बचाएंगे, इंडेमनिफ़ाय (indemnify) करेंगे और उन्हें सुरक्षित रखेंगे जो निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होते हैं या उनसे संबंधित हैं: ( i ) डिजिटल FD सेवाओं का आपका उपयोग या दुरुपयोग; ( ii ) डिजिटल FD सेवाओं के आपके उपयोग या पहुंच के संबंध में किसी तीसरे पक्ष से दावे; ( iii ) डिजिटल FD शर्तों का आपका उल्लंघन ( जिसमें आपके द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व, वारंटियां और समझौतों का उल्लंघन शामिल है ); ( iv ) आपके द्वारा प्रदान की गई गलत या अनुपयुक्त जानकारी; ( v ) जानकारी का उपयोग या दुरुपयोग; या ( vi ) आपके द्वारा दी गई किसी अन्य अप्रासंगिक तीसरे पक्ष की गलत जानकारी।

बैंक को यह अधिकार है कि वह आपकी लागत पर, किसी भी मामले की विशेष रक्षा और नियंत्रण संभाले, जिसमें निपटान का अधिकार भी शामिल है, जिसके लिए आपको बैंक का बचाव करना आवश्यक है, और आप बैंक के साथ उस रक्षा और निपटान में सहयोग करने के लिए सहमत हैं। बैंक उचित प्रयास करेगा कि आपको किसी भी तृतीय पक्ष द्वारा लाए गए दावे, कार्रवाई, या प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जा सके, जो बैंक के संबंध में उपरोक्त प्रतिपूर्ति से संबंधित हो, जब बैंक इसके बारे में जान लेगा। आप, अपनी लागत पर, अलग से काउंसल को नियुक्त कर सकते हैं जो आपको दावे के संबंध में सलाह दे और दावे की रक्षा में भाग ले, बशर्ते बैंक का रक्षा और निपटान पर अधिकार बना रहे।

आप सहमत हैं कि बैंक, इसके निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट, शेयरधारक और प्रतिनिधि किसी भी कारण से, जैसे कि सेवा का उपयोग रोकने या रुकने, या आपके डिजिटल FD अकाउंट और डिजिटल FD सेवाओं में हैकिंग या अनधिकृत पहुंच के कारण, सीधे, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, विशेष, परिणामस्वरूप या उदाहरणात्मक नुकसान के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे, जिसमें डेटा या जानकारी, लाभ, गुडविल ( goodwill ), राजस्व, लाभ, या अन्य अमूर्त हानि का नुकसान शामिल है।



बैंक से प्राप्त कोई भी सलाह या जानकारी, चाहे वह मौखिक हो या लिखित, या डिजिटल FD सेवाओं के उपयोग के आधार पर, बैंक पर कोई वारंटी या जिम्मेदारी नहीं उत्पन्न करेगी।

यदि डिजिटल FD सेवाओं में कोई विघटन या पहुंच खोने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो बैंक का एकमात्र दायित्व होगा कि वह डिजिटल FD सेवाओं को या आपकी डिजिटल FD सेवाओं तक पहुंच को बहाल करने के लिए सभी उचित प्रयास करे।

## **विविध**

1. **शिकायत निवारण:** सेवाओं से संबंधित किसी भी शिकायत, विवाद या समस्याओं को बैंक की शिकायत निवारण नीति के अनुसार बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. **प्रवर्तन क़ानून और विवाद समाधान:** ये डिजिटल एफडी शर्तें भारत के लागू क़ानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित की जाएंगी। यदि आपके और बैंक के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो हमारा उद्देश्य आपको एक लागत-प्रभावी और त्वरित समाधान प्रदान करना है, इसलिए हम आपको पहले बैंक से संपर्क करने की सलाह देते हैं, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान सीधे कर सकें। यदि आप और बैंक 30 दिनों के भीतर किसी विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल नहीं कर पाते हैं, तो उस विवाद का समाधान गुवाहाटी, असम, भारत की अदालतों के विशेष अधिकार क्षेत्र में होगा।
3. **इन शर्तों में परिवर्तन:** बैंक समय-समय पर इन डिजिटल एफडी शर्तों में संशोधन कर सकता है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप समय-समय पर इन शर्तों की समीक्षा करें, ताकि यह देखा जा सके कि क्या इनमें कोई संशोधन किया गया है। इन डिजिटल एफडी शर्तों का अद्यतन संस्करण बैंक के डिजिटल पोर्टल पर पोस्ट होते ही तुरंत प्रभावी होगा। डिजिटल एफडी शर्तों में किसी भी प्रकार के संशोधन के बाद या बैंक के डिजिटल पोर्टल पर अपडेट किए जाने के बाद डिजिटल एफडी सेवाओं का लगातार उपयोग इस बात का संकेत होगा कि आपने संशोधित शर्तों को स्वीकार किया है।
4. **हस्तांतरणीयता:** इन डिजिटल एफडी शर्तों या किसी भी अधिकार या हित को आप द्वारा न तो सौंपा जा सकता है और न ही हस्तांतरित किया जा सकता है।
5. **शर्तों की पूर्णता:** ये डिजिटल एफडी शर्तें, जिसमें किसी भी समझौतों, परिशिष्टों, प्रदर्शनियों, या डिजिटल एफडी सेवाओं से संबंधित किसी भी अतिरिक्त सेवा शर्तों को शामिल किया गया है, जो संदर्भ द्वारा जोड़ी जाती हैं, बैंक और आपके बीच इस विषय से संबंधित पूर्ण शर्तें हैं।
6. **विभाजनशीलता:** यदि इन डिजिटल एफडी शर्तों का कोई हिस्सा लागू करने योग्य नहीं पाया जाता है, तो शेष हिस्सा पूरी तरह से प्रभावी रहेगा और लागू होगा।
7. **कोई माफी नहीं:** यदि बैंक इन डिजिटल एफडी शर्तों के किसी भी हिस्से को लागू करने में विफल रहता है, तो इसे माफी के रूप में नहीं माना जाएगा।